

प्रोजेक्ट - राष्ट्रीय राजमार्ग- 135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं० - FP/UP/ROAD/141411/2021

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ० नं० 5-3/2007 (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक 5-2-2009 द्वारा 65.612 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बड़ी दरों के अनुसार धनराशि को एन एच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) वन विभाग, उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

अनुमोदित

पनागाय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
अधिशारी अभियन्ता
स.भा. खण्ड नं०-1 लो०नि०
अरुण कुमार सिंह
अधिशारी अभियन्ता
एनएच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी